

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान जयपुर


क्रमांक:-F21/NRHM/JSY/ 954

दिनांक: 23.5.17

समस्त प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज,
समस्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

विषय:- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत देय यातायात खर्च प्रसूता को देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली प्रसूता को जननी सुरक्षा योजना के परिवहन मद के तहत आशा/सहयोगिनी अथवा अन्य कर्मी के साथ नहीं आने की स्थिति में रुपये 300/- का अतिरिक्त भुगतान यातायात खर्च हेतु प्रसूता को किये जाने के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाए।



निदेशक
(आर.सी.एच.)

क्रमांक:-F21/NRHM/JSY/

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार
- 2 निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव(प.क.) एवं मिशन निदेशक(एन.आर.एच.एम.) राजस्थान, जयपुर
- 6 निजी सहायक, निदेशक जन स्वास्थ्य/आर.सी.एच./एडस/आई.ई.सी.
- 7 अतिरिक्त निदेशक, एन.आर.एच.एम./आर.एच./आर.सी.एच.मुख्यालय, जयपुर
- 8 अतिरिक्त निदेशक, (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय, जयपुर
- 9 संयुक्त निदेशक (आर.सी.एच.) मुख्यालय, जयपुर
- 10 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
- 11 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल- समस्त जिले
- 12 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सैटेलाईट अस्पताल, समस्त
- 13 प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
- 14 जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त जिले
- 15 समस्त गैर सरकारी संगठन


निदेशक
(आर.सी.एच.)